हिमाचल प्रदे ा सरकार
उच्चतर ि ाक्षा विभाग

संख्याः ई0डी0एन0–ए0–क(3)–1/2011 तारीख, ि ामला–2 19–05–2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदे ा की राज्यपाल, हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट ि ाक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–.

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट ि ाक्षा संस्था (विनियामक आयोग) नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदे ा में इनके प्रका ान की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाशाएं.– (1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट ि ाक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) अभिप्रेत है;
(ख) "अध्यक्ष" से हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट ि ाक्षा संस्था विनियामक आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(ग) "उच्चतर ि ाक्षा विभाग" से हिमाचल प्रदे ा उच्चतर ि ाक्षा विभाग अभिप्रेत है;
(घ) "फीस" से किसी प्राइवेट ि ाक्षा संस्था/वि वविद्यालय द्वारा अध्यापन और अन्य समस्त फीस, संस्थागत निधि, अवधान द्रव्य और छात्रावास प्रभार इत्यादि के रूप में किसी भी नाम के अधीन प्रभारित की गई कुल फीस और निधि अभिप्रेत है;
(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(च) "सरकार" से हिमाचल प्रदे ा सरकार अभिप्रेत है;
(छ) "राज्यपाल" से हिमाचल प्रदे ा का/की राज्यपाल अभिप्रेत है; और
(ज) "कुल मासिक उपलब्धियों" से सरकार द्वारा समय–समय पर यथा–विनिर्दिश्ट उपलब्धियां अभिप्रेत है;

(2) अन्य समस्त भाब्दों और पदो ंके जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाशित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रम ाः उनके हैं ।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और भार्तें.– (1) अध्यक्ष और सदस्य जो ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे सरकार के क्रम ाः प्रधान सचिव और सचिव को समय–समय पर अनुज्ञेय हैं ।

(2) यदि अध्यक्ष या सदस्य इस रूप में नियुक्ति के समय सरकार, किसी स्थानीय निकाय, किसी वि वविद्यालय या सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी अन्य निकाय से सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो वह पैं ान की रा ि (न्यूनीकृत पें ान के भाग को सम्मिलित करके) घटाकर, यदि कोई हो, और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर पें ान को अपवर्जित करके ऐसी कुल मासिक उपलिब्धयां, जो उसने अन्त में प्राप्त की हो, को प्राप्त करने का हकदार होगा । तथापि वह इसके अतिरिक्त पें ान की पूरी रकम, यदि कोई हो, आहरित करने का हकदार होगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्य, आयोग के मुख्यालय पर क्रम ाः प्रधान सचिव और सचिव को यथा अनुज्ञेय के समान आवास ; यदि सामान्य पूल में उपलब्ध हो, के हकदार होंगे ।

(4) अध्यक्ष और सदस्य कार्यालय और निवास स्थान में एस.टी.डी. सहित दूरभाश प्रसुविधा के साथ हिमाचल प्रदे ा सरकार के क्रम ाः प्रधान सचिव और सचिव को तत्समय प्रवृत्त और लागू मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) की बाबत हिमाचल प्रदे ा सरकार के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे ।

(5) अध्यक्ष और सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जैसे सरकार के क्रम ाः प्रधान सचिव और सचिव को अनुज्ञेय है ।

(6) अध्यक्ष और सदस्य ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं अवका ा तथा अवका ा यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) के हकदार होंगे, जैसी सरकार के क्रम ाः प्रधान सचिव और सचिव को अनुज्ञेय है ।

(7) सेवा भार्तों से सम्बन्धित किसी अन्य मामले की बाबत जिसके लिए इन नियमों में आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए कोई भी उपबन्ध नहीं है, राज्य सरकार के वि ोश आदे ाों द्वारा भाासित होंगे ।

4. आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के निबन्धन और भार्तें.– (1) आयोग के कर्मचारिवृन्द में सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की ऐसी संख्या सम्मिलित होगी जैसी सरकार समय–समय पर अवधारित करे ।

(2) सचिव, सरकारी सेवा में रत व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या सरकारी सेवा में ि ाक्षाविद् होगा जो राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की पंक्ति के नीचे का न हो, जिसे आयोग के पराम ार्ग से सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) सचिव की सेवा भार्तें वैसी ही होंगी जैसी उसकी सरकार में उसके पैतृक विभाग में है ।

(4) प्रारम्भ में आयोग के कर्मचारिवृन्द सैकण्डमैंट आधार पर या संविदा नियुक्ति के माध्यम से उच्चतर ि ाक्षा विभाग के विद्यमान कर्मचारिवृन्द के निबन्धनों और भार्तों के अनुसार भर्ती किए जाएंगे जब तक कि आयोग के पराम ार्ग से और सरकार के अनुमोदन से उनके भर्ती और प्रोन्नति नियम/विनियम बना नहीं दिए जाते ।

5. आयोग के कृत्य.– (1) विनियामक आयोग अधिनियम की धारा 9 में अधिकथित समस्त कृत्यों के साथ–साथ ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो अधिनियम की धारा 9 में अधिकथित उद्दे यों की पूर्ति के लिए आव यक समझे जाएं । आयोग छात्रों की प्रवे ा प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तैयार करने, भौक्षिक कलैण्डर, अध्यापन का अच्छा स्तर, पेपर सैट करने, परीक्षाएं संचालित करने, आन्तरिक मूल्यांकन की पद्धति, अंतिम परीक्षा का मूल्यांकन, परीणामों की घोशणा और अधिनियम तथा नियमों के अनुसार उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने तथा प्राइवेट और सम्बद्ध वि वविद्यालय को भाासित करने के उपबन्ध सुनिि चत करेगा ।

(2) उच्चतर ि ाक्षा के प्राइवेट वि वविद्यालयों और प्राइवेट संस्थानों से सम्बधित ऐसे अन्य मामले जो उप नियम (1) के अधीन नहीं आते हों, राज्य सरकार को निर्दिश्ट किए जाएंगे ।

6. अधिरोपित की जाने वाली भाास्ति की रकम.– (1) आयोग अधिनियम की धारा 11 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार प्राइवेट भौक्षिक संस्थानों और वि वविद्यालयों पर भाास्ति अधिरोपित करने के लिए स ाक्त होगा और न्यूनतम भाास्ति निम्न प्रकार से होगीः–

(क) प्रवे ा.– यदि छात्र का प्रवे ा अधिनियम की धारा 9 के उल्लंघन में किया गया है तो भाास्ति, ऐसे छात्र से प्राइवेट भौक्षणिक संस्थान द्वारा प्रभारित की गई वास्तविक फीस की रकम के दोगुना होगी ।

(ख) छात्र से प्रभारित की गई फीस का विचलन.– यदि किसी भी छात्र से जिसे प्रवे ा दिया गया है अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत और अनुमोदित रकम से अधिक फीस प्रभारित की गई है तो भाास्ति छात्र से विनिर्दिश्ट फीस से अधिक प्रभारित की गई वास्तविक रकम की तीन गुणा होगी ।

(ग) अध्यापकों की अर्हताएं.– यदि नियुक्त किया गया अध्यापक जो विनियामक निकाय द्वारा यथाविनिर्दिश्ट अर्हता परिपूर्ण नहीं करता है तो संस्थान पर ऐसे प्रत्येक (अनर्हित) अध्यापक के लिए बीस हजार रूपए की भाास्ति प्रतिमास अधिरोपित की जाएगी ।

(घ) अध्यापकों की कमी.– यदि पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए नियुक्त अध्यापकों की संख्या विनियामक निकाय द्वारा विनिर्दिश्ट अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है तो संस्थान पर अध्यापक की प्रत्येक कमी के लिए बीस हजार रूपए की भाास्ति प्रतिमास अधिरोपित की जाएगी । तीन मास के प चात् भाास्ति की दर दोगुना होगी ।

(ङ) परीक्षा.– छात्रों को परीक्षा और मूल्यांकन के समुचित संचालन के बिना प्रदान की गई किसी उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र के लिए प्रति छात्र पच्चीस लाख रूपए की भाास्ति लगाई जाएगी ।

(च) अवसंरचना.– यदि संस्थान की अवसंरचना में विनियामक निकाय या सरकार द्वारा अवसंरचना के लिए नियत सन्नियमों में कमी पाई जाती है तो भाास्ति दो लाख

रूपए ऐसे समय तक प्रभारित की जाएगी जब तक कमी पूरी नहीं कर दी जाती है और इसकी अनुपालना रिपोर्ट आयोग को नहीं दी जाती है ।

(छ) दूरवर्ती ि ाक्षा पद्धति या विस्तारण केन्द्र.– यदि भौक्षणिक संस्थान सरकार और विनियामक निकाय के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई दूरवर्ती ि ाक्षा कार्यक्रम या इसके विस्तारण केन्द्र प्रारम्भ करता है, तो उसके जारी रहने तक, दस लाख रूपए की भाास्ति प्रतिमास अधिरोपित की जाएगी ।

(ज) समस्त अन्य भोश विवाद्यक और मामले.– उन अन्य विवाद्यकों पर, जो इस नियम के खण्ड (क) से (छ) के अधीन नहीं आते हैं, अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के किसी प्रकार के उल्लंघन को बढ़ावा देने की द ाा में भाास्ति, ऐसी दर पर जैसी आयोग द्वारा उचित समझी जाए, अधिरोपित की जाएगी, परन्तु किसी भी द ाा में भाास्ति अधिनियम में उपबंधित अधिकतम भाास्ति से अधिक नहीं होगी ।

(2) आयोग, कोई भाास्ति अधिरोपित करने से पूर्व सम्बद्ध संस्थान को अपना मामला प्रस्तुत करने और प्रतिवाद करने का अवसर प्रदान करेगा और तत्प चात् भाास्ति अधिरोपित करने के लिए युक्तियुक्त आदे ा पारित करेगा ।

(3) आयोग, अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (क) से (छ) के अधीन आने वाले किसी भी विवाद्याक और मामले पर अधिकतम भाास्ति अधिरोपित करने के लिए स ाक्त होगा ।

7. निधि की संक्रिया.– (1) धारा–8 के अधीन स्थापित निधि की संक्रिया आयोग द्वारा इसके सचिव या आयोग के पदाभिहित अधिकारी के माध्यम से की जाएगी ।

(2) आयोग नामनिर्दे ाित बैंक को, उनकी सूचना और हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट ि ाक्षा संस्था विनियामक आयोग निधि लेखे की संक्रिया के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध करवाएगा ।

(3) बजट व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार द्वारा आबंटित अनुदान या ऋण को आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा निधि से आहरण करने और जमा करने की व्यवस्था की जाएगी ।

(4) आयोग निधि का उपयोग अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपेक्षित व्ययों की पूर्ति के लिए तथा अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्दे यों और प्रयोजनों की पूर्ति के लिए भी करेगा ।

(5) प्राप्त समस्त निधियां बैंक/बैंकों में आयोग के लेखे में संदत्त की जाएगी । आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक प्रस्तुत करने के सिवाय आहरण नहीं किया जाएगा ।

(6) आयोग का पदाभिहित अधिकारी, आयोग की ओर से प्राप्तियों और संदायों के समुचित संव्यवहार का अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(7) आयोग का पदाभिहित अधिकारी यह सुनिि चत करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रत्यायित बैंकों में जमा किए गए चैकों/मांग ड्राफ्ट की रकम आयोग के लेखे में समय पर जमा की गई है और उनके साथ प्रत्येक तिमाही में प्राप्तियों और संदायों के खातों का मिलान कर दिया गया है ।

8. आदे ा/निर्णयों को अधिप्रमाणित करने की पद्धति.– आयोग द्वारा किए गए समस्त आदे ाों, निर्णयों और जारी की गई लिखतों को अध्यक्ष, सचिव के हस्ताक्षर द्वारा या आयोग के विनियमों के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

9. वित्त और लेखे .– (1) आयोग अपने लेखों को प्ररूप क, ख और ग में द्विप्रविश्टि प्रणाली के सिद्धान्त पर बनाए रखेगा । आयोग रोकड़ बही, खाता बनाए रखेगा और वार्शिक तुलन–पत्र तथा अन्य ऐसा सुसंगत और अनिवार्य वित्तीय अभिलेख जो विधि द्वारा अपेक्षित हो, तैयार करेगा ।

(2) आयोग के लेखे अध्यक्ष, सचिव और आयोग के आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

10. वार्शिक रिपोर्ट.– आयोग सरकार को, अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित आयोग द्वारा विनिर्दिश्ट किए गए प्रपत्र और संरचना में पूर्ववर्ती वर्श के दौरान किए गए क्रियाकलापों के निम्नलिखित सूचक/विशय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, सही और पूर्ण लेखे देते हुए वार्शिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करेगाः–

(क) प्रस्तावना ।
(ख) आयोग की संरचना ।
(ग) आयोग की भूमिका और उत्तरदायित्व ।
(घ) अधिनियम का कार्यान्वयन और तद्धीन आयोग द्वारा जारी किए गए आदे ा ।
(ङ) अधिरोपित भाास्तियां और व्यतिक्रम करने वाले विभिन्न संस्थानों से वसूल की गई रकम ।
(च) अन्य संप्रेक्षण और सिफारि ों ।
(छ) प्राप्तियों और व्ययों को द ार्ति हुए संक्षिप्त में आयोग के लेखे ।
(ज) उपबन्ध ।

11. वि ोश प्रयोजन के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थाई सहयोजन.– (1) आयोग किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयोजित कर सकेगा या आमन्त्रित कर सकेगा जिसकी सहायता या पराम र्ा अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इसे अपेक्षित हो ।

(2) आयोग की किसी बैठक में भाग लेने के लिए उपनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा सहयोजित किए गए या आमन्त्रित किए गए किसी व्यक्ति को आयोग की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) उपनियम (1) के अनुसार प्रयोजन के लिए आयोग के साथ सहयोजित किए गए या उस द्वारा आमन्त्रित किए गए किसी व्यक्ति को विनियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और बैठक फीस/मानदेय संदत्त किया जाएगा ।

12. अपील का अधिकार.– आयोग के आदे ा /निर्णय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदे ा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका दायर कर सकेगा ।

प्ररूप—क
(नियम 9 देखें)

रोकड़ बही

—————————— कार्यालय

टी. आर. 4
[ट्रेजरी रूल 77(1)]

————————— मास, 2011

प्राप्तियां

तरीख	प्राप्तियों की संख्या जहां आव यक हो	वि ाष्टियां	वेतन	भत्ते	आकस्मिकताएं		विविध	कुल	वर्गीकरण
					स्थायी अग्रिम की पूर्ति में	अग्रिम संदाय			

—————— मास, 2011

संदाय

तारीख	उप वाउचर संख्या	विशिष्टियां	वेतन	भत्ते	आकस्मिकताएं		विविध	कुल	वर्गीकरण
					स्थायी अग्रिम में से	संदाय के पूर्वानुमान में आहरण किए गए धन में से			

प्ररूप ख
(नियम 9 देखें)

वित्तीय विवरणीयों (अलाभकारी संगठन) का प्ररूप

संस्था (एन्टिटी) : हिमाचल प्रदे   । प्राइवेट ि   ाक्षा संस्था (विनियामक आयोग)

————————————— को समाप्त हुई अवधि/वर्श के लिए समेकित रसीद और संदाय विवरणी

प्राप्तियाँ	रकम (रूपयों में)	संदाय	रकम (रूपयों में)

प्ररूप ग
(नियम 9 देखें)

वित्तीय विवरणियों (अलाभकारी संगठन) का प्ररूप

संस्था (एन्टिटी) : हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट ि ाक्षा संस्था (विनियामक आयोग)

—————————— को समाप्त हुई अवधि/वर्श के लिए तुलनपत्र

समग्र/पूंजीगत निधि और दायित्व	अनुसूची	रकम (रूपयों में)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
परिसम्पत्तियां		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्याः ई0डी0एन0–ए0–क(3)–1/2011 तारीख, ि ामला–2 19–05–2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 ।
2. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 ।
3. निजि सचिव, शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 ।
4. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला–4 ।
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली ।
7. रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समरहिल, शिमला–4 ।
8. रजिस्ट्रार, यश्वन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय, नौणी, जिला सोलन, हि0प्र0 ।
9. रजिस्ट्रार, चौधरी सरवन कुमार कृशि वि वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ।
10. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदे ा, ि ामला–1 ।
11. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदे ा, ि ामला–1 ।
12. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 । उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करें, ।
13. संरक्षण नस्ति ।

अतिरिक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(Authoritative English Text of this Department notification number EDN-A-Ka(3)-1/2011 Dated 19-05-2011 as required under article 348(3) of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Higher Education

No.EDN-A-Ka(3)-1/2011 Dated Shimla-2, the 19-05-2011

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by section 18 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission)Act 2010(Act No 15 of 2011), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions(Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No.15 of 2011);
(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission;
(c) "Department of Higher Education" means the department of Higher Education, Himachal Pradesh;
(d) "fee" means the total fee and fund under any name charged by the private educational institutions / universities as tuition and all other fees, institutional development fund, caution money and hostel charges etc.;
(e) "Form" means a form appended to these rules;
(f) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
(g) "Governor" means Governor of Himachal Pradesh;
(h) "State" means the State of Himachal Pradesh; and
(i) "the total monthly emoluments" means emoluments as specified by the Government from time to time.

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in the Act.

3. **Terms and Conditions of service of Chairperson and members.**- (1) The Chairperson and members shall receive pay and allowances as admissible to the Principal Secretary and Secretary respectively to the Government from time to time.
(2) If the Chairperson or a member, at the time of appointment is a person who has retired from the service of the Government, a Local Body, a University or any other body wholly or substantially owned or controlled by the Government he shall be entitled to get such total monthly emoluments as last drawn, reduced by the amount of pension(including commuted portion of pension), if any and excluding pension equivalent to DCRG. He will however, be entitled to draw the full amount of pension, if any in addition.

(3) The Chairperson and members shall be entitled to the residential accommodation at headquarters of the Commission, if available in general pool, equivalent to that as admissible to Principal Secretary and Secretary to the Government of Himachal Pradesh, respectively.

(4) The Chairperson and members shall be entitled to House Rent allowance(HRA) admissible as per Government of Himachal Pradesh rules regarding House Rent Allowance for the time being in force and applicable to the Principal Secretary and Secretary to the Government of Himachal Pradesh, respectively alongwith telephone with STD facilities in the office and residence.

(5) The Chairperson and the members shall be entitled to such Traveling Allowance and Daily Allowance as are admissible to the Principal Secretary and Secretary of the Government, respectively.

(6) The Chairperson and the members shall be entitled to such medical benefits, leave and LTC as are admissible to the Principal Secretary and Secretary of the Government, respectively.

(7) In respect of any other matter pertaining to service conditions for which there is no provision in these rules the Chairperson and other members of the Commission shall be governed by the specific orders of the State Government.

4. **Terms and Conditions of officers and other employees of the Commission.-** (1) The staff of the Commission shall consist of a Secretary and such number of other officers and employees as the Government may determine from time to time.

(2) The Secretary shall be a person in government service not below the rank of Deputy Secretary of State Government or an educationist in Government Service not below the rank of Principal of Government College and shall be appointed by the Government, in consultation with the Commission.

(3) The service conditions of the Secretary shall be the same as in his parent department of the Government.

(4) Initially the staff of the Commission shall be appointed on secondment basis or through contract appointment, as per terms and conditions of the existing staff of department of Higher Education till the Recruitment and Promotion Rules/Regulations are framed by the Commission in consultation and with the approval of the Government.

5. Functions of Commission.- (1) The Regulatory Commission shall perform all functions as laid down in section 9 of the Act as well as such other functions as may be deemed fit to achieve the objectives laid down in section 9 of the Act. The Commission shall ensure due admission procedure of students, framing of syllabus, academic calendar, good standard of teaching, setting of papers, conduct of examinations, method of internal evaluation, evaluation of final examination, declaration of the result and award of degree/diploma/certificate in accordance with Act and rules and provisions governing private and affiliating University.

(2) Other such matters concerning the Private Universities and Private Institutions of Higher Education not covered under sub-rule (1) may be referred to the Government.

6. Amount of penalty to be imposed.- (1) The Commission shall be empowered to impose penalty on the Private Educational Institutions and Universities as per provisions laid down in section 11 of the Act and the minimum penalty shall be as follows :-

(a) **Admission.-** If the admission of the student is done in violation of section 9 of the Act, penalty shall be twice the amount of actual fee charged by the Private Educational Institutions from such student.

(b) **Deviation of fee charged from the student.-** In case any admitted student is charged fee in excess of the amount fixed and approved by the Government / Competent Authority, under the provisions of an Act, the penalty shall be three times the actual amount charged from the student over and above the specified fee.

(c) **Qualification of teachers.-** In case a teacher is appointed who does not fulfill the qualification as specified by the Regulatory body then penalty of ` 20,000/- per month per such (unqualified) teacher, shall be imposed on the Institution.

(d) **Shortage of the teachers.-** If the number of teachers appointed to teach a course is not as per the requirement specified by the Regulatory body then penalty of ` 20,000/- per month per shortfall of teacher shall be imposed on the Institution. After three months the rate of the penalty shall be doubled.

(e) **Examination.-** Any degree/diploma/ certificate awarded to a student without the proper conduct of examination and evaluation shall invoke a penalty of ` 25 lakh per student.

(f) **Infrastructure.-** If the infrastructure of the institution is found short of the norms set for infrastructure by the Regulatory body or the Government, the penalty at the rate of ` 2 lakh per month shall be charged till such time the deficiency is made good and its compliance reported to the Commission.

(g) **Distance Education Mode or Extension Centres.-** If an educational institution starts any distance education programme or its extension centre without the prior approval of the Government and also of the regulatory body, a penalty of ` 10 lakh per month shall be imposed, till discontinuation of the same.

(h) **All other remaining issues and matters.-** On other issues, not covered under clauses (a) to (g) of this rule**,** projecting any kind of violations of the provisions of the Act and these rules, penalty shall be imposed at the rates as may be deemed fit by the Commission, but in no case the penalty shall be more than the maximum penalty provided under the Act.

(2) The Commission before imposing any penalty shall give an opportunity to the concerned Institution to present and defend its case, and then pass a reasoned order for imposing the penalty.

(3) The Commission shall be empowered to impose maximum penalty on any of the issues and matters covered under clauses (a) to (h) of sub-rule (1) of this rule in accordance with the provisions of section 11 of the Act.

7. **Operation of the Fund.-** (1) The Fund established under section 8 shall be operated by the Commission through its Secretary or the designated officer of the Commission.

(2) The Commission shall make available the specimen signatures of the authorized signatories to the nominated bank for their information and for operation of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission Fund Account.

(3) The grants or loans allocated by the Government under budgetary provisions shall be arranged to be drawn and deposited into the Fund by the Drawing and Disbursing Officer.

(4) The Commission shall utilize the fund for meeting expenses required in connection with the discharge of its functions under section 9 of the Act and also for meeting objects and the purposes authorized by the Act.

(5) All funds received shall be paid into the Commission's account in the bank/banks and shall not be withdrawn except on presentation of a cheque signed by the officers authorized by the Commission.

(6) The designated officer shall be responsible for monitoring the proper transactions of receipts and payments on behalf of the Commission.

(7) The designated officer shall be responsible to ensure that the amount of cheques/demand drafts deposited in the accredited banks have been timely credited in the account of the Commission and shall also reconcile the receipts and payments account every quarter with them.

8. Mode of authentication of order/decisions.- All the orders, decisions and instruments issued by the Commission shall be authenticated by the signature of the Chairperson, Secretary, or by the signature of any person authorized under the regulations of the Commission.

9. Finance and Accounts.- (1) The Commission shall maintain its accounts on the principle of double entry system in Forms A, B and C. The Commission shall maintain cash book, ledger and shall prepare annual balance sheet and other such relevant and essential financial records as required under the law.

(2) The accounts of the Commission shall be authenticated by the Chairperson, the Secretary and the Drawing and Disbursing Officer of the Commission.

10. Annual Report.- The Commission shall prepare and submit the annual report to the Government as required under the provision of section 13 of the Act, giving true and full account of the activities undertaken during the previous year, in the format and structure to be specified by the Commission, taking into the consideration the following index/contents:-

(a) Introduction.
(b) Organization of the Commission.
(c) Role and responsibilities of the Commission.
(d) Implementation of the Act and orders issued by the Commission thereunder.
(e) Penalties imposed and amount recovered from various defaulting institutions.
(f) Other observations and recommendations.
(g) Accounts of the Commission in brief, showing receipts and expenditure.
(h) Annexure.

11. Temporary association of persons with the Commission for particular purpose.- (1) The Commission may associate with itself or invite any person whose assistance or advice it may require in carrying out any of the provisions of the Act or rules made thereunder.
(2) A person associated or invited by the Commission under sub-rule(1), to take part in any meeting of the Commission, shall have no right to vote in the meeting of the Commission.
(3) A person associated with or invited by the Commission for the purpose in accordance with sub-rule (1) shall be paid TA / DA and sitting fee / honorarium as per the regulations.

12. Right to Appeal.- Any person aggrieved by the order / decisions of the Commission may file Civil Writ Petition before the High Court of Himachal Pradesh.

Form-A
(See rule 9)

CASH BOOK

OFFICE OF ________________

T.R.4
[Treasury Rule 77(1)]

Month of ______, 2011

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	Particulars	Pay	Allowances	Contingencies		Miscellaneous	Total	Classification
					In recoupment of permanent advance	Advance payment			

Month of ______, 2011

PAYMENTS

Date	Sub voucher numbers	Particulars	Pay	Allowances	Contingencies		Miscellaneous	Total	Classification
					Out of permanent advance	Out of money drawn in anticipation of payment			

Form-B
(See rule 9)

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFITABLE ORGANISATIONS)

NAME OF THE ENTITY: HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION)

CONSOLIDATED RECEIPT AND PAYMENTS STATEMENT

FOR THE PERIOD/YEAR ENDED______________________

RECEIPTS	AMOUNT (in Rs.)	PAYMENTS	AMOUNT (in Rs.)

Form-C
(See rule 9)

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFITABLE ORGANISATIONS)

NAME OF THE ENTITY: HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION)

BALANCE SHEET

FOR THE PERIOD/YEAR ENDED______________________

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Amount (in Rs.)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
ASSETS		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

By Order

Principal Secretary(Education)to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. EDN-A-Ka (3)-1/2011- Shimla-171002, the 19-05-2011

Copy for information and necessary action to:-

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla.
3. The Pvt. Secretary to the Education Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2
4. All the Principal Secretaries/Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
5. The Secretary, HP Vidhan Sabha, Shimla-4.
6. The Secretary, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
7. The Registrar, Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.
8. The Registrar, Yashwant Singh Parmar Horticulture and Forestry Uni., Nauni, Solan, HP.
9. The Registrar, CSK Krishi Vishava Vidyalaya, Palampur, Distt. Kangra, HP.
10. The Director of Higher Education, HP, Shimla-01.
11. The Director of Elementary Education, HP Shimla-01.
12. The Controller, Printing & Stationery, H.P., Shimla-5 with the request to publish this notification in Rajpatra (extra-ordinary).
13. The Guard File.

Addl. Secretary (Hr.Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh.

***